आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या–178/2018
श्री चन्द्रशेखर राय
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
25.01.2023	यह मुद्रांक अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी. डब्लू.जे.सी. संख्या–7213/2018 में दिनांक–30.08.2018 के पारित आदेश के आलोक में श्री चन्द्रशेखर राय, पिता राम रतन राय ने सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने मुद्रांक वाद संख्या 58/2001–02 में दिनांक 17.06.2014 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.09.2018 को इस न्यायालय में दायर किया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने अपीलकर्त्ता के वैशाली जिले के महनार अंचलान्तर्गत् थाना नं0 540 कुल रकवा 14.5 डी0 के लिए इनके उपस्थापित केवाला दिनांक 15.02.2001 में भुगताये मुद्रांक राशि में कमी पाते हुए इन्हें कमी मुद्रांक राशि 6926/– एवं उस पर जुर्माना की राशि 700/– अर्थात् कुल 7626/– जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सविस्तार सुना। अपीलकर्त्ता का दावा है कि प्रश्नगत भूमि दहनाल/गंग शिकस्त की श्रेणी में आता है, जबकि निम्न न्यायालय (सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) द्वारा इसे कृषि भूमि का मूल्यांकन मानकर भुगताये गये राशि में कमी मुद्रांक पाते हुए अपना आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No:-7213/2018 दायर किया	

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2018 में सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने के निदेश के साथ यह अपीलवाद इस न्यायालय में दायर है। माननीय उच्च न्यायालय का समादेश है किः–

"If the petitioners file any such appeal within a period of three weeks from the date of receipt/production of a copy of this order, along with an application for condonation of delay, the appellate authority will consider the same, keeping in view the fact that the writ application was pending before this Court."

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि उनके द्वारा उपस्थित दस्तावेज में प्रभावी MVR के अनुसार मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया गया, जबकि अवर निबंधक, महनार के द्वारा उच्च मूल्य के आधार पर दस्तावेज को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को रेफर कर दिया गया। उनका दावा यह भी है कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें बिना किसी सूचना के एवं बिना किसी स्थलीय जॉच के उनके अनुपस्थिति में दिनांक 17.06.2014 आदेश पारित किया गया है, जो गलत एवं खारिज योग्य है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत केवाला को न्यूनतम मूल्यांकन पंजी से कम मूल्य पर दस्तावेज को निबंधन हेतु प्रस्तुत किया। अवर निबंधक द्वारा दस्तावेज के निबंधन स्वीकार करते समय उसे न्यूनतम मूल्यांकन से कम पाये जाने के कारण निम्न न्यायालय को रेफर कर दिया गया। अब जहां तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो इस संबंध में के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकार को साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु अपने पत्रांक–259 दिनांक 03.03.2014 एवं पत्रांक 417 दिनांक 03.06.2014 के माध्यम से अपीलकर्ता को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया है। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2014 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि '' ***कई बार नोटिस का तामिला के बावजूद भी***

WEB COPY NOT OFFICIAL

वे उपस्थित नहीं हुए अतएव एकपक्षीय निर्णय लेते हुए अवर निबंधक द्वारा भूमि के प्रस्तावित मूल्य की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत उस पर सहमत होकर भूमि का बाजार मूल्य 66,500 रु0 निर्धारित किया जाता है।" जिससे उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यहॉ उल्लेखनीय है कि **Bihar Stamp (Prevention of undervaluation of instruments) Rules,1995** के नियम 12 के तहत दस्तावेज द्वारा अंतरित अराजी की स्थिति एवं अवस्थिति के अनुरूप मुद्रांक शुल्क देय है। साथ ही विभागीय पदाधिकारी द्वारा संधारित न्यूनतम मूल्यांकन पंजी में दर्ज राशि से कम पर निबंधन नहीं करने का निर्णय राजस्व हित में है। अवर निबंधक, महनार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 31.03.2001 में प्रश्नगत भूमि को महनार नगर पालिका की सीमा में बताया गया है। अतः अपीलकर्ता का न्यूनतम निर्धारित राशि से भी कम पर नगर क्षेत्र में परने वाली जमीन के निबंधन का दावा को अमान्य किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

अपीलकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित किये जाने की तिथि से एक माह के अंदर प्रभार्य शुल्कादि का विहित चालान के माध्यम से जमा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रभार्य शुल्कादि का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL